सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 258 राँची, गुरुवार, 1 वैशाख, 1938 (श०)
21 अप्रैल, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

संकल्प

21 मार्च**, 2016**

विषयः झारखंड शहरी योजना एवं प्रबंधन संस्थान (**Jharkhand Urban Planning and Management Institute (JUPMI))** के गठन के संबंध में ।

संख्या-06 ए०/न०वि०/विविध-जुपमी/40/2015-1597--74वें संविधान संशोधन के आलोक में नगर प्रबंधन के क्षेत्र में नगर निकायों को सशक्त बनाने एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार दृढसंकल्प है। उक्त संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय नगर निकायों के कार्यक्षेत्र को विस्तृत किया गया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू करने के पश्चात् नगर निकायों में जनमत के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है एवं भविष्य में और वृद्धि होने की संभावना है। ऐसी परिस्थिति में नगर निकाय के निवासियों, जन प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को शहर एवं नगर प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ।

2. राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर नगर प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु नगर निकायों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से "झारखंड शहरी योजना एवं प्रबंधन संस्थान (JUPMI)" का गठन किये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत "झरखण्ड शहरी योजना एवं प्रबंधन संस्थान" के गठन का निर्णय लिया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की योजना **Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation** के तहत् नगर निकाय स्तर पर शहरी नवीकरण, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एवं निकाय स्तर पर नगरीय पुनरूद्धार किया जाना है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र वित्त संपोषित परियोजनाएं (Centrally Sponsored Scheme), यथा- स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (**NULM**), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), स्वच्छ भारत मिशन (SBM) आदि तथा राज्य संपोषित योजनाओं के कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बनी रहेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग में पूर्व से कार्यरत पदाधिकरियों एवं कर्मियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा आवश्यकता के अनुरूप नये विषयों पर प्रशिक्षण की आवश्यकता भी लगातार अनुभव की जाती रही है।

4. शहरी संरचनाओं को विश्वस्तरीय बनाने, शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि करने, दीर्घकालीन योजना में शहरी स्थानीय निकायों में सहभागी बनने, स्थापत्य शहरी योजनाकरण, विकास, डिजाईन, प्रबंधन एवं सतत् विकास जैसे क्षेत्रों में शोध, प्रशिक्षण एवं गहन तथा उच्च अध्ययन, समान रूप से कार्यरत विश्वस्तरीय संस्थाओं से विचारों के आदान-प्रदान जैसे कार्यों का संपादन किया जायेगा। साथ ही, संस्थान के द्वारा स्थानीय युवक एवं युवतियों के क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण, शोध का कार्य, विभिन्न तरह के अध्ययन, विभाग एवं निकायों हेतु त्रैमासिक एवं वार्षिक पत्रिका, कार्य योजना के कार्य में विभाग को सहायता, नवाचार आदि का कार्य सम्पादित किये जायेगें, जो विभाग के कार्य क्षमता एवं प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मददगार होगा।

5. इस संस्थान के विशिष्ट उद्देश्यों का उल्लेख विधान पत्र एवं उपविधियों (**Memorandum of Association and Bye-Laws**) में किया गया है।

6. संस्थान की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

7. इस संस्थान की स्थापना के क्रम में आवश्यक पदों का सृजन प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आधार पर विधिवत् किया जायेगा।

8. संस्थान के भवन इत्यादि के निर्माण एवं उपकरण, आदि से सृसज्जीकरण एवं संचालन हेतु व्यय की जाने वाली राशि का वहन उपलब्ध विभागीय बजट के सुसगत शीर्ष से किया जायेगा।

9. झारखण्ड शहरी योजना एवं प्रबंधन संस्थान (**Jharkhand Urban Planning and Management Institute (JUPMI)** का निबंधन, संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

आदेशः- यह आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को जनसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 258—50 ।